# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

**पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.**

**अपील संख्या : 431/2016**

1. रेवतीदेवी पत्नि बोदीलाल
2. विनोद कुमार पुत्र बोदीलाल
3. राजेन्द्र उर्फ राजेश कुमार पुत्र बोदीलाल
4. लालचन्द पुत्र बोदीलाल
   समस्त जाति ब्राह्मण निवासी पापड़ी तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर।
5. मोना देवी पुत्री बोदीलाल पत्नि सतीश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी हाल थानागांजी जिला अलवर राजस्थान।

**.....अपीलान्ट्स/वादीगण**

**बनाम**

1. सोहनलाल पुत्र पांची देवी
2. पांची देवी पत्नि बनवारीलाल
   समस्त जाति ब्राह्मण निवासी टोलड़ा ब्राह्मण तहसील कोटपुतली जिला जयपुर।
3. मन्जू देवी पुत्री पांची देवी पत्नि पवन कुमार जाति ब्राह्मण निवासी बास बनेठी तहसील कोटपुतली जिला जयपुर।
4. उप पंजीयक विराटगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
6. श्रीमती सरिता देवी पत्नि हंसराज तंवर जाति गुर्जर निवासी गोपीपुर सोठाना तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
7. श्रीमती भंवरी देवी पत्नि ओमकारमल जाति गुर्जर निवासी काकराना छोटा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

**——रेस्पोडेन्ट्स**

**अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर वाद संख्या 117/2014 उनवानी रेवती देवी व अन्य बनाम सोहनलाल व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**उपस्थितः**

**श्री श्यामसुन्दर खण्डेवाल एडवोकेट**
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स
**श्री सुनील कुमार शर्मा एडवोकेट**
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट सं. 1, 2, 3, 6 व 7

**निर्णय दिनांकः 02/12/2019**

## —: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर के वाद संख्या 117/2017 बउनवानी रेवती

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

देवी व अन्य बनाम सोहनलाल व अन्य में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 21.06.2016 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88,89,188 रा.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 656, 657, 658, 745, 746, 747, 748, 750, 751 व 782 कुल किता 10 कुल रकबा 2.09 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम पापड़ी तहसील विराटनगर· जिला जयपुर में स्थित है, उपरोक्त आराजी मुतनाजा को पहले वादीगण के पूर्वज चिंरजीलाल के समय से ही वादीगण संख्या 2 से 4 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 06 के पिता एवं वादी संख्या 01 के पति मृतक बोदीलाल ही काबिज रहकर काश्त एवं उसका पूर्ण रूप से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा था तथा मृतक बोदीलाल के फौत होने के पश्चात् सम्पूर्ण आराजी मुतनाजा पर वादीगण काबिज रहकर काश्त एवं उसका उपयोग उपभोग करते चलो आ रहे है तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 02 का पति बनवारी लाल वादीगण के पूर्वज बोदीलाल के साथ ही रहता था तथा वादीगण एवं वादीगण के पिता व पति बोदीलाल के द्वारा बनवारी लाल की सेवा,सुश्रषा, देखभाल सम्पूर्ण किया जाता था । प्रतिवादी संख्या 02 की मृतक बनवारी लाल से शादी होने के कुछ समय पश्चात् से विवाद एवं मनमुटाव होने से प्रतिवादी संख्या 02 अपने पीहर टोरड़ा ब्राह्मणान में जाकर रहने लग गई तथा उसके पश्चात् प्रतिवादीगण कभी भी ग्राम पापड़ी तहसील विराटनगर में आकर वादीगण व मृतक बनवारी लाल के साथ नहीं रहे व न ही वर्तमान में रहे है। बनवारी लाल के फोत होने के पश्चात् उसका सामाजिक एवं धार्मिक समस्त संस्कार वादीगण के द्वारा करवाये गये है तथा उसमें सम्पूर्ण खर्चा भी वादीगण के द्वारा हीव हन किया गया है जिससे प्रतिवादीगण द्वारा कोई खर्चा एवं कार्य नहीं किया गया है, सम्पूर्ण आराजीयात मुतनाजा पर वादीगण ही काबिज रहकर काश्त एवं उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है। आराजी मुतनाजा या इसके किसी भी भाग पर प्रतिवादीगण का कभी कब्जा अधिकार सम्बन्ध नहीं रहा है। प्रतिवादीगण से वादीगण के विरूद्व एक नाजायज संगठन बना रखा है प्रतिवादीगण ने अपनी इन्ही नाजायज हरकतों के तहत बिना किसी अधिकार के गुप्तरूप से बिना वादीगण एवं उसके पूर्वज बोदीलाल की बिना जानकारी एवं सूचना के राजस्व कर्मियों एवं तत्कालीन सरपंच से साज कर बनवारीलाल का विरासत का आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ल0 3 ने अपने आप को बनवारी के पुत्र पुत्री व पत्नि बताते हुये आराजी मुतनाजा के 1/2 भाग की खातेदारी अपने नाम से खुलवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली है जो कि गलत है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ल0 3 का उक्त आराजी मुतनाजा या उसके किसी भी भाग पर कोई कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम उक्त आराजी के हिस्से 1/2 भाग की अपने नाम गलत दर्ज हुई खातेदारी के आधार पर प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ गई तथा इस गलत इन्द्राज के आधार पर वादीगण उक्त सम्पूर्ण आराजी मुतनाजा के 1/2 भाग कीभूमि को अन्य किसी दीगर व्यक्ति को अन्तकरण करके वादीगण को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा कर दीगर व्यक्ति को कब्जा कराने की ऐलानिया धमकी दी है जिसके कारण वादीगण को यह वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादीसंख्या 1 ल0 3 के नाम अंकित 1/2 भाग का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ल0 3 के नाम अंकित खातेदारी हजफ फरमाई जावे जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में कराया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई अनुचित हस्तक्षेप ना स्वयं करे, ना ही अन्य किसी से करवावे तथा वादीगण को काश्त करने से ना रोके तथा बेदखल करने की कोई कार्यवाही ना करे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2016 के वादीगण का वाद खारिज कर दिया गया अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित बहस पर मनन किया गया। वकील अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में मुख्यतः यह कथन किये है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का मृतक बनवारी से विवाह अवश्य हुआ था किन्तु वह कभी भी बनवारी के पास पत्नि के रूप में नहीं रही तथा विवाह के तुरन्त बाद ही अपने पिता के यहां चली गई थी। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश कर दिया था जिसके पश्चात् पत्रावली वास्ते तनकीयात नियत थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प में आंकडे बढाने के उद्देश्य से वाद में बिना तनकीयात कायम किये एवं साक्ष्य सबूत लिये ही निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों पर गौर किये बिना दिनांक 21.06.2016 को गलत निर्णय पारित किया है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.06.2016 खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2013 (2) आर.आर.टी पेज 1110 पेश किया।

4. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस में मुख्यतः यह कथन किये कि बनवारी का विवाह पांची देवी के साथ हुआ था एवं बनवारी द्वारा विधिक रूप से पांची देवी से तलाक लेकर विवाह विच्छेद नहीं किया इस कारण पांची देवी बनवारी की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही थी किन्तु प्रतिकूल कब्जे के आधार पर विधिनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के गहन परीक्षण व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सही निर्णय पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस कारण अपील अपीलान्ट्स आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

5. वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.06.2016 को विधिनुसार एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान न किये जाने के कारण खारिज फरमा दिया गया। अधिनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तोवजात व निर्णय के समुचित अवलोकन से पाया गया कि विवादग्रस्त भूमि बोन्दीलाल व बनवारीलाल के नाम बराबर–बराबर दर्ज थी जिसमें बोन्दीलाल की मृत्यु के उपरान्त बोन्दीलाल के 1/2 हिस्से की भूमि उसके वारिसान अपीलान्ट्स के नाम दर्ज हुई। बनवारीलाल का विवाह पांची देवी के साथ हुआ जिसे स्वयं अपीलान्ट व बनवारीलाल स्वयं ने स्वीकार किया है इसलिये जब तक सक्षम न्याय़ालय के यहां से विवाह विच्छेद/तलाक प्राप्त नहीं किया जाता है तब तब पांची देवी स्वर्गीय बनवारीलाल की पत्नि मानी जायेगी एवं उसकी मृत्यु के उपरान्त उसकी सम्पत्ति की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी मानी जायेगी। पंचायत द्वारा भी बनवारीलाल के वारिसनामे में पांची देवी पत्नि एवं अन्य रेस्पोडेन्ट पुत्र व पुत्री के रूप में बताये गये है। अपीलान्ट का यह कथन कि वह प्रश्नगत भूमि पर काफी वर्षो से काबिज काश्त है एवं इस आधार पर वह खातेदार हो गये निराधार है क्योकि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते है। अपीलान्ट द्वारा स्वयं ने भी पांची देवी को बनवारीलाल की पत्नि होना माना है एवं उनके विवाह विच्छेद के संबंध में कोई ठोस सबूत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है जिसमें मेरे द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

6. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 02.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर